पंचायत आम निर्वाचन,
2021
**अत्यावश्यक**

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या- पं.नि. 30-239/2021 3580

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 8.9.21

**विषय : पंचायतों एवं ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन, 2021 — अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार एवं मतदान के दिन भ्रमण हेतु वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार एवं मतदान के दिन भ्रमण हेतु वाहनों के उपयोग किये जाने की आवश्यकता होती है। उक्त संदर्भ में आयोग द्वारा निम्न निदेश दिऐ गए है:-

1. **चुनाव प्रचार हेतु अभ्यर्थियों के लिए वाहन की अनुमान्यता :**

आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन; मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है।

(क) यान्त्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है। यान्त्रिक वाहनो से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतर मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित यान्त्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यान्त्रिक साधनों, यथा रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि रिक्शा आदि पर आने वाला व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को चार यान्त्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्का वाहन के स्थान पर उनके द्वारा अधियाचना किया जाने पर दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्के वाहन के उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

2. **मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में :**

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तथा उसके समर्थकों / मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतदान की तिथि को भ्रमण हेतु विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को किस संख्या में वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाए, इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त आयोग निम्न निदेश है :-

(2) पंचायत निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | जिला परिषद् सदस्य | - | एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। |
| (ख) | पंचायत समिति सदस्य | - | चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। |
| (ग) | मुखिया | - | चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। |
| (घ) | सरपंच | - | चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए। |
| (ङ) | ग्राम पंचायत सदस्य | - | कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं। |
| (च) | पंच | - | कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं। |

**स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।**

**वाहन हेतु परमिट /अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी /निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन के विन्ड स्क्रीन (*wind screen*) पर चिपकाई जाएगी। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन किए जाने पर उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा तथा उक्त अभ्यर्थी को किसी दूसरे वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा। निदेशों की अवहेलना के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी पर संगत विधानों के अधीन मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।**

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त अभ्यर्थी के किसी अन्य समर्थक को मतदान के दिन वाहन से भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. आयोग अवगत है कि मतदान के दिन यातायात से संबंधित सभी तरह के वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए जाने से जनसाधारण को काफी असुविधा एवं परेशानी उठानी पड़ सकती है। अतः आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य सदभाविक उद्देश्यों (*bonafide purposes*)के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी :-

(क) मालिक (*owner*) द्वारा, निजी कार्यवश, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, प्रयुक्त किए जाने वाले

वाहन।

(ख) मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ग) आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेन्स, मिल्क वान, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वान तथा कर्तव्यरत आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन।

(घ) पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, जो निर्धारित टर्मिनस एवं रूट पर चलायी जाती हैं।

(ङ) टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा इत्यादि जिनसे अपरिहार्य परिस्थितिवश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो।

(च) निजी वाहन, जिनका उपयोग बीमार अथवा निःशक्त व्यक्तियों द्वारा खुद के लिए किया जाता है।

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 141 (*vi*) के प्रावधानों के अनुसार **उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा।**

**परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा।**

**निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए की उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त उन्हें पाँच वर्षों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से निरर्हित भी किया जा सकता है ।**

5. ऐसा पाया गया है कि चुनाव प्रचार की अवधि में अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा अपने अन्य समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ढोने हेतु प्राइवेट वाहनों का उपयोग किया जाता है तथा कई अवसरों पर ऐसे वाहनो का उपयोग असामाजिक तत्वों/ अपराधियों को घुमाने तथा बाहुबल का खुला प्रदर्शन करने हेतु भी किया जाता है, ताकि मतदाताओं के मन में भय/ आतंक का संचार हो तथा वे किसी अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में अपना मतदान करें अथवा मतदान करने ही नहीं आएं। ऐसे वाहनों का उपयोग कभी -कभी अवैध आयुध एवं गोला-बारूद (*arms and ammunitions*) की तस्करी हेतु भी किया जाता है जिसका प्रयोग निर्वाचन के समय अशांति एवं बाधा पैदा करने हेतु किया जा सकता है ।

6. अतः ऐसे अवांछित/ अवैध क्रियाकलापों को रोकने के लिए जिला प्रशासन को वाहनों के परिचालन पर सूक्ष्म निगरानी रखने की आवश्यकता है। अगर कोई वाहन आपराधिक गतिविधियों, यथा अवैध आयुध एवं गोला-बारूद (*arms and ammunitions*) अथवा असामाजिक तत्वों को मतदाता के मन में भय पैदा करने हेतु ढोने के उद्देश्य सहित अन्य रिष्टियों (*mischief*) में संलग्न पाया जाता है, तो उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा तथा तब तक नहीं

छोड़ा जाएगा जब तक निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त ऐसे वाहनों के मालिक (*owner*), धारक तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध संगत विधानों के अधीन आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

7. अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त निदेशों से जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियो को अपने स्तर से तुरंत अवगत कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को भी आयोग को उपर्युक्त निदेश से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3580 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3580 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3580 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेश,.बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3580 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/2021 3580 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

7.9.2021